सख्या- 83/2016/2805/33-3-2016-100(11)/2016

प्रेषक,

एस0पी0सिंह

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09 नवम्बर, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-14 में पंचायत उद्योग केन्द्रों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा कार्यशाला की मरम्मत एवं निर्माण हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से स्वीकृत धनराशि क्रमशः रू. 750 लाख एवं रू. 750 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-80/2016/2345/33-3-2016-100(11)/2016 दिनांक 18.10.2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 18.10.2016 के प्रस्तर-8 में अनुदान संख्या-14 का लेखाशीर्षक लिपिकीय त्रुटिवश निम्नवत अंकित हो गया हैः-

इस संबंध में होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक आयोजनागत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101 पंचायतीराज- आयोजनागत-20-पंचायत भवनों की वॉल पेन्टिंग-42-अन्य के नामे डाला जायेगा।

2- अतः उक्त प्रस्तर-8 में अंकित लेखाशीर्षक के स्थान पर संशोधित करते हुए निम्नवत लेखाशीर्षक अंकित किया जाता है:-

"इस संबंध में होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक आयोजनागत मद में पंचायत उद्योग केन्द्रों को कार्यशाली पूंजी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- 101-पंचायतीराज-आयोजनागत-19-पंचायत उद्योग केन्द्रों को सहायता-20 सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) " के अन्तर्गत रू. 750.00 लाख तथा कार्यशाला की मरम्मत एवं निर्माण हेतु लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-आयोजनागत-19-पंचायत उद्योग केन्द्रों को सहायता-35-पूंजीगत परिसम्पित्तियों के सर्जन हेतु अनुदान" के नामे डाला जाएगा।

3- उक्त शासनादेश संख्या-80/2016/2345/33-3-2016-100(11)/2016 दिनांक 18.10.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

shasnadeshup.nic.in

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0/मुख्य विकास अधिकारी

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

shasnadeshup.nic.in